28/1/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं। वादी स्वयं हाजिर नहीं। अधिवक्ता वादी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व हाजिर नहीं। अधिवक्ता वादी को आवाज लगवाई गई, किन्तु हाजिर नहीं। वादीगण को आवाज लगवाई गई किन्तु वादीगण की ओर से कोई आस्थित नहीं। न्यायालय समय समाप्ति तक रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई किन्तु कोई हाजिर नहीं ऐसी स्थिति में वादी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। खारजी की गणना निर्णीत की जाकर वाद की आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। आज्ञा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.02.22 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Scanned by CamScanner